

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2022

विषय : प्रदेश की परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों, 03 वर्ष से 06 वर्ष की आयु के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय त्रैमास हेतु अतिरिक्त फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति पर आने वाले अनुमानित व्यय के अग्रिम के सम्बंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-788/वा०वि०परि०पो० एवं स्वा०/2021-22, दिनांक 02 फरवरी, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थियों को अतिरिक्त फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु धनराशि रु० 95, 17, 692.00 (रुपया पंचानवे लाख सत्तरह हजार छः सौ बानवे मात्र) का खाद्य एवं रसद विभाग को अग्रिम भुगतान किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017, शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 तथा शासनादेश दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
- (2) निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-25/2021/1346/58-1-21-2/3(6)12, दिनांक 20 अप्रैल, 2021, शासनादेश संख्या-37/2021/2534/58-1-21-2/3(6)12, दिनांक 01 सितम्बर, 2021, शासनादेश संख्या-49/2021/3390/58-1-21-2/3(6)12, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 एवं संख्या-5/2022/3878/58-1-21-2/3(6)12, दिनांक 27 जनवरी, 2022 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (4) एक बार में एक माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जायेगी।
- (5) योजना से सम्बन्धित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सुसंगत गाउडलाइन्स एवं नियमों का पालन किया जायेगा।
- (6) पूर्व में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2022 तक अवश्य कर लिया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।
- (8) आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरन्त बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।
- (9) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो व्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।
- (10) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
- (11) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।
- (12) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जायेगा।
- (13) जैसे-जैसे असंचालित केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(14) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलेशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक ' '2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0125-पुष्पाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाली पोषाहार (के0-50/रा-50-के0+रा0) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति ' ' के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-3472-दस-2021-22, दिनांक 24.02.2022 द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

संयुक्त सचिव।

संख्या-14/2022/396 (1) /58-1-2022, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1 ।
4. वित्त (आय-व्ययक) -1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1 ।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार, उ0प्र0 ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।